राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900
E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/

क्रमांक:—एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/15947-15989 दिनांक:— 13/06/2026

प्रेषक :—

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषिति:

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति
समस्त राजस्थान।

विषय:— अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत।
संदर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/13661-13662 दिनांक 27.05.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के लिए हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 15.06.2026 निर्धारित की गई थी, को निर्देशानुसार दिनांक 10.07.2026 को सायं 5:00 तक के लिए एवं जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम दिनांक 18.07.2026 तक बढ़ाई जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक के पश्चात अंतिम तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जावेगी।

चयनित पैनल अधिवक्तागण के नाम की सूची, उनके समस्त दस्तावेज एवं निर्णयों/आदेशों की प्रतियां सहित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

नवीन पैनल तैयार करते समय अधिवक्ता की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता एवं अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाये।

आज्ञा से

(हरि ओम अत्री)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

क्रमांक:— 4451-4466 दिनांक:— 15/06/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर।
2. श्रीमान अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ, लक्ष्मणगढ, थानागाजी एवं कठूमर जिला अलवर।
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ अलवर।

4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ राजगढ, लक्ष्मणगढ, थानागाजी एवं कठूमर जरिये श्रीमान अध्यक्ष, संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति जिला अलवर एवं अध्यक्ष अभिभाषक संघ रामगढ, मालाखेडा, रैणी, गोविन्दगढ एवं खेरलीमण्डी जरिये सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 रामगढ/ मालाखेडा/ रैणी/गोविन्दगढ/ खेरलीमण्डी जिला अलवर।

5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति को जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर की वेवसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900
E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/

क्रमांकः–एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/15847-15899 दिनांक :– 13/06/2026

प्रेषक :–

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषितिः

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति,
समस्त राजस्थान।

विषयः– अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(137)/2025/रालसा/ पै.अधि./DS-I/13661
13662 दिनांक 27.05.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 15.06.2026 निर्धारित की गई थी, को निर्देशानुसार दिनांक 10.07.2026 को सायं 5:00 तक के लिए एवं जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम दिनांक 18.07.2026 तक बढाई जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक के पश्चात अंतिम तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जावेगी।

चयनित पैनल अधिवक्तागण के नाम की सूची, उनके समस्त दस्तावेज एवं निर्णयों/आदेशों की प्रतियां सहित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

नवीन पैनल तैयार करते समय अधिवक्ता की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता एवं अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाये।

आज्ञा से

Hari Om Atri
(हरि ओम अत्री)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिरकण
जयपुर

Seen
15/6/26

DPR No.-1514
15/06/26